राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5398/2022

डॉ. पूनम चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) और पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय डेण्टल कॉलेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2022
आदेश की दिनांक : 22.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई तथा शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर राजकीय डेण्टल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सी.एच.सी., दूनी, टोंक किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो उनका

स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण टोंक जिले में किया गया है, जो उक्त नीति के विरूद्ध है। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2019 से कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर होनी थी, परंतु उसकी पदोन्नति आदेश दिनांक 21.10.2022 को जारी किया गया, जिसमें दिनांक 01.04.2019 से पदोन्नत माना गया। अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है, फिर भी उसका स्थानान्तरण कर दिया गया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर राजकीय डेण्टल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 में कनिष्ठ विशेषज्ञ के बजाय चिकित्सा अधिकारी दर्शाते हुए स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है। हमारे

मत में पदोन्नति आदेश दिनांक 21.10.2022 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 21.10.2022 को पदोन्नत आदेश जारी किया गया है, जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 को जारी किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी आलोच्य आदेश जारी होने तक चिकित्सा अधिकारी के पद पर ही कार्यरत था। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल दर्शित नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)